रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092020-221677
CG-DL-E-11092020-221677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2758] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2020/भाद्र 20, 1942
No. 2758] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020/BHADRA 20, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2020

का.आ. 3105(अ).—यतः, मै. दहेज एसईजेड लिमिटेड, जो गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, ने गुजरात राज्य के गांव दहेज, अम्भेटा, लुवारा, सुवा, लखीगात और जागेश्वर, ताल्लुक वागरा, जिला–भरूच में एक बहु–उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में निम्नलिखित तालिका में दिये गए क्षेत्रों को अधिसूचित/अनधिसूचित किया था:–

क्रम.सं.	राजपत्र अधिसूचना संख्या	राजपत्र अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	परिणामी क्षेत्र (हेक्टेयर में)
i.	का.आ.2131 (अ)	20.12.2006	1718.9387	-	1718.9387
ii.	का.आ.774 (अ)	07.04.2010	-	14.5634	1704.3753
iii.	का.आ.944 (अ)	23.04.2010	28.1781	-	1732.5534
iv.	का.आ.2576 (अ)	14.11.2011	-	49.8994	**1682.6540**

और यतः, मै. दहेज एसईजेड लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.2509 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके पत्र सं. आईसी/इन्फ्रा/एनओसी/1590591 दिनांक 22 नवम्बर, 2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, दहेज, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 0.2509 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **0.2509 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके **परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 1682.4031 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याए और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	लुवारा	74/पी	0.24536
2		75/पी	0.00554
कुल			**0.2509**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**1682.4031**

[फा. सं. एफ.2/9/2003–एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2020

S.O. 3105(E).—Whereas, M/s. Dahej SEZ Limited, a joint venture of Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) and Oil and Natural Gas Commission Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a multi-product Special Economic Zone at Villages Dahej, Ambheta, Luvara, Suva, Lakhigam and Jageshwar in Taluk Vagra, District Bharuch in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/partially de-notified the areas at the above Special Economic Zone as per details given below in the table: -

S. No.	**Notification No.**	**Notification Date**	**Notified Area** (in Hectares)	**De-notified Area** (in Hectares)	**Resultant Area** (in Hectares)
i.	S.O. 2131 (E)	20.12.2006	1718.9387	-	1718.9387
ii.	S.O. 774 (E)	07.04.2010	-	14.5634	1704.3753
iii.	S.O. 944 (E)	23.04.2010	28.1781	-	1732.5534
iv.	S.O. 2576 (E)	14.11.2011	-	49.8994	**1682.6540**

AND, WHEREAS, M/s. Dahej SEZ Limited has now proposed for de-notification of 0.2509 hectare from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide letter No. IC/INFRA/NoC/1590591 dated 22nd November, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Dahej, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.2509 hectare of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 0.2509 hectare**, thereby making the **resultant area as 1682.4031 hectare**, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Luvara	74/P	0.24536
2.		75/P	0.00554
Total			**0.2509**
Grand Total Area of SEZ after above deletion			**1682.4031**

[F. No. F.2/9/2003-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA